न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 168 / 2024

अनवान : –

1. ओमप्रकाश पुत्र इन्द्राज जाति जाट निवासी सोतीबड़ी तहसील नोहर।
2. विजय लक्ष्मी पत्नी ओमप्रकाश जाति जाट निवासी सोतीबड़ी तहसील नोहर।

– सायलान

बनाम्

1. धर्मपाल पुत्र इन्द्राज जाति जाट निवासी सोतीबड़ी तहसील नोहर।
2. साहबराम पुत्र इन्द्राज जाति जाट निवासी सोतीबड़ी तहसील नोहर।
3. लिछमा देवी पत्नी साहबराम जाति जाट निवासी सोतीबड़ी तहसील नोहर।
4. सन्तोष पत्नी इन्द्राज जाति जाट निवासी सोतीबड़ी तहसील नोहर।
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

– गैरसायालान

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट.

उपस्थिति :– 1. श्री मदन मोहन जोशी अधिवक्ता **सायलान**
2. श्री चन्द्र शेखर अधिवक्ता **गैरसायल**

निर्णय दिनांक: 11/03/2025

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थीगण ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा सोतीबीड़ी तहसील नोहर के खाता स0 13/13 की कुल 3.2880 हैक्ट भूमि व रोही मौजा चक 13 बारानी तहसील नोहर के खाता स0 3/2 की कुल 1.2650 हैक्ट भूमि व रोही मौजा चक 26 डीपीएन तहसील नोहर के खाता स0 12/8 की कुल 2.6980 हैक्ट भूमि व रोही मौजा सोतीबड़ी तहसील नोहर के खाता स0 12/12 की कुल 10.7370 हैक्ट भूमि सायलान व गैरसायलान के नाम मुश्तरका खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

वादी भूमि का खाता व लगान मुश्तरका दर्ज है। वाद भूमि संयुक्त खाता में होने के कारण सीवं, डोल को लेकर तानाजात रहता है। सायलान द्वारा अपने हक हिस्सा की भूमि को समलत व उपजाउ बना रखा है अप्रार्थी का नाम संयुक्त खाता में दर्ज होने के कारण प्रार्थी के कब्जा काश्त की भूमि पर अजनबी केतागण को काबिज कराने पर आमादा है। अगर गैरसायलान अपने मकसद मे कामयाब हो जाता है तो अपूर्णीय क्षति प्रार्थी को होगी अतः अप्रार्थीगण को ताफैसला दावा अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे की उक्त वाद भूमि का जब तक खाता व विभाजन न हो तब तक वाद भूमि को रहन, बैयनामा करने व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

प्रार्थना पत्र पेश होने [illegible] रोही मौजा सोतीबीड़ी तहसील नोहर के खाता स0 13/13 की कुल 3.2880 हैक्ट भूमि व रोही मौजा चक 13 बारानी तहसील नोहर के खाता स0 3/2 की कुल 1.2650 हैक्ट भूमि व रोही मौजा चक [illegible] डीपीएन तहसील

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.03.17 11:09:59 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

नोहर के खाता स0 12/8 की कुल 2.6980 हैक्ट भूमि व रोही मौजा सोतीबड़ी तहसील नोहर के खाता स0 12/12 की कुल 10.7370 हैक्ट भूमि की अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आशय की जारी की गई की अप्रार्थीगण सायलान की सीवं व डोल को मिस्मार न करे।

अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 व ने जरिये अधिवक्ता जवाब प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया की वाद भूमि मुश्तरका है एवं मुश्तरका खाता की भूमि पर सायल अपने सहकाश्तकारों के विरूद्ध किसी भी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा कानूनन प्राप्त करने का अधिकारी नही है उक्त भूमि बाबत सींव व डोल को लेकर कोई विवाद नही है प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण को परेशान करने के लिए यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है इसलिए प्रार्थना पत्र सायल खारिज फरमावे।

बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया की उक्त वाद भूमि में से प्रार्थी ने अपने हक हिस्सा की भूमि को अपनी मेहनत से समतल व उपजांऊ बना रखा है। प्रार्थी की अच्छी किस्म की कृषि भूमि होने के कारण गैरसायलान अजनबी क्रेता को सायल की कृषि भूमि दिखाकर रहन/बैय करने पर उतारू है तथा सायल के हक हिस्सा की भूमि पर काबिज होना चाहते है जिसके कारण सायल को ना पुरा होने वाला नुकसान होगा इसलिए गैरसायलान के खिलाफ रहन, बैय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने के आदेश फरमावे।

अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने बहस में कथन किया की वाद खाता विभाजन का है। वाद भूमि बाबत सींव डोल को लेकर कोई विवाद नही है तथा न ही अप्रार्थीगण उक्त भूमि को बेचना चाहते है अप्रार्थीगण को परेशान करने के लिए यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है अप्रार्थीगण संयुक्त खाता में रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है रिकार्डेड खातेदार को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द नही किया जा सकता है अतः उक्त बिन्दुओं के मध्यनजर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमावें।

बहस उभयपक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सुनी गई। हमने प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र, उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का गहन अध्ययन करने के उपरान्त इस नतीजे पर पहुचे है कि वादग्रस्त भूमि बाबत खाता विभाजन मूल दावें के निर्णय में तय होना है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के प्रार्थना पत्र के निस्तारण के दौरान केवल यह देखना है कि प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन किसके पक्ष मे है तथा अपूर्णीय क्षति किसको होती है? पत्रावली में प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा सोतीबीड़ी तहसील नोहर के खाता स0 13/13 की कुल 3.2880 हैक्ट भूमि व रोही मौजा चक 13 बारानी तहसील नोहर के खाता स0 3/2 की कुल 1.2650 हैक्ट भूमि व रोही मौजा चक 26 डीपीएन तहसील नोहर के खाता स0 12/8 की कुल 2.6980 हैक्ट भूमि व रोही मौजा सोतीबड़ी तहसील नोहर के खाता स0 12/12 की कुल 10.7370 हैक्ट भूमि सायलान व गैरसायलान के नाम मुश्तरका खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है। मुश्तरका खातेदार काश्तकार अपने हक हिस्सा व किस्म भूमि के अनुसार खाता [illegible] राजस्व रिकार्ड में अलग से कायम करवाने का अधिकारी है जो वाद में साक्ष्य सबूत के आधार पर तय होना है अप्रार्थीगण द्वारा केवल राजस्व रिकार्ड में दर्ज अपने हक व हिस्सा [illegible] भूमि की रहन, बैय व मुन्तकिल किया जा रहा है। अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा सहमति पत्र की [illegible]प्रति पेश की गई जिसके मुताबिक उक्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.03.17 11:09:59 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

भूमि बाबत पक्षकारान के मध्य सहमति हुई थी प्रार्थीगण का कथन है कि अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीगण के सीवं व डोल को मिस्मार किया जा रहा है जबकि प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण संयुक्त खाता में दर्ज खातेदार है जिनका खाता व लगान मूल वाद में तय होना है उक्त विवेचनानुसार प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थीगण के पक्ष में साबित होता है न की प्रार्थी के पक्ष में। जब प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध हो गया है तो सुविधा का संतुलन भी अप्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध होता है। अगर अस्थाई निषेधाज्ञा ताफैसला कन्फर्म की जाती है तो अपूर्णीय क्षति भी अप्रार्थीगण को होगी न की प्रार्थी कों। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति इन तीनों ही तत्वों में से कोई भी तत्व प्रार्थी के पक्ष में साबित नही होते है बल्कि अप्रार्थीगण के पक्ष में बखूबी साबित है। इसलिए अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना किसी भी तरह से न्यायोचित प्रतीत नही होता है तथा प्राकृतिक न्याय एवं साम्य न्याय के सिद्धान्तों के विपरित है।

अतः उपरोक्त विवेचन स्वरूप प्रार्थी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अस्थाई निषेधाज्ञा साबित नही होने से दिनांक 08.07.2024 को जारी की गई अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज की जाती है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 11/03/2025 मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.03.17 11:09:59 IST
Reason: SelfAttested